शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या–बी–2–25/दस–2012–आर–2/2011

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,
श्री राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव,
विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. समाज कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 17 जनवरी, 2012

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–2012 के तृतीय त्रैमास के प्राप्ति एवं व्यय के ऑकड़ों के लेखा मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या–टी.एम.–II/ग्रुप–4/लेखामिलान/एफ.–18/1276, दिनांक 02 जनवरी, 2012 द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आंकड़ों के त्रैमासिक लेखा मिलान की प्रकिया के कम में **माह अक्टूबर, 2011 से दिसम्बर 2011 तक के लेखांकित प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों से मिलान के लिये दिनांक 16 फरवरी, 2012 से 21 मार्च,2012 तक** की अवधि निर्धारित की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे **वित्तीय वर्ष 2011–2012 के तृतीय त्रैमास (माह अक्टूबर, 2011 से दिसम्बर, 2011) के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा मिलान कार्य** संलग्न निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित करायें तथा जिस समय लेखा मिलान दल, लेखा मिलान हेतु महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद जायें तब वे अपने साथ डी.डी.ओ. रिकन्सीलियेशन शीट एवं मासिक व्यय विवरण (बी.एम.–4) ले जाना सुनिश्चित करें ताकि लेखा मिलान में पायी जाने वाली विसंगतियों के समायोजन हेतु प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी को उसी समय उपलब्ध करा दिये जायें।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि **अनुदान संख्या–81 एवं 83 में अपने विभाग की योजनाओं से सम्बन्धित लेखाशीर्षों के व्यय के आंकड़ों का मिलान कार्य भी नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अपने विभाग के साथ ही सुनिश्चित कराया जायेगा।** नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराने पर उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकड़ें अन्तिम समझे जायेंगें।

...../2

4– लेखा मिलान हेतु यदि किसी विभाग का नाम संलग्न सूची में अंकित होने से रह गया है, तो ऐसे विभाग अपने विभाग का लेखामिलान कार्य दिनांक 21–03–2012 को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

5– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि लेखा मिलान कार्य की उक्त प्रकिया में कोई कठिनाई होने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी महालेखाकार कार्यालय के सक्षम अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

भवदीय,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव।

संख्या–बी–2–25(1)/दस–2012–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पत्र संख्या टी.एम.–II/ग्रुप–4/लेखामिलान/एफ.–18/1276, दिनांक 02 जनवरी,2012 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र में उल्लिखित बी.एम.–8 संशोधित बजट मैनुअल के अनुसार अब बी.एम.–4 हो गया है।
2. उपमहालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार, (लेखा व हकदारी)– द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. समस्त विभागीय वित्त नियंत्रक/वित्तीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग।
7. प्रभारी निकनेट सेल, वित्त विभाग को वित्त विभाग की वेब साईट में प्रदर्शित किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव।

संख्या–बी–2–25/दस–2011–आर–2/2011, दिनांक 17 जनवरी, 2012

वित्तीय वर्ष 2011–2012 से सम्बन्धित माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2011 तक के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से तिथिवार मिलान हेतु कार्यक्रम।

कमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
1.	आबकारी	16.02.2012
2.	आवास	
3.	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन/खानें और खनिज/ खादी एवं ग्रामोद्योग/हथकरघा उद्योग/भारी एवं मध्यम उद्योग/मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	
4.	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग	
5.	ऊर्जा	17.02.2012
6.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	
7.	रेशम विभाग	
8.	कृषि विभाग	
9.	परती भूमि विकास	21.02.2012
10.	समन्वय विभाग	
11.	कृषि विपणन विभाग	
12.	भूमि विकास एवं जल संसाधन	
13.	ग्राम्य विकास विभाग	22.02.2012
14.	भूगर्भ जल विभाग	
15.	लघु सिंचाई	
16.	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	
17.	पंचायती राज विभाग	23.02.2012
18.	पशुधन	
19.	दुग्ध विकास	
20.	मत्स्य	
21.	सहकारिता	24.02.2012
22.	कार्मिक एवं नियुक्ति	
23.	खाद्य एवं रसद	
24.	खेल एवं युवा कल्याण	
25.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	27.02.2012
26.	गृह (कारागार)	
27.	गृह (पुलिस)	
28.	नागरिक सुरक्षा	
29.	राजनीतिक पेंशन	28.02.2012
30.	गृह (गोपन)	
31.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	
32.	परिवार कल्याण विभाग	

17.01.2012

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
33.	चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी)	29.02.2012
34.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	
35.	होम्योपैथी चिकित्सा विभाग	
36.	नगर विकास	
37.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	01.03.2012
38.	नागरिक उड्डयन	
39.	भाषा	
40.	नियोजन	
41.	निर्वाचन	02.03.2012
42.	न्याय	
43.	परिवहन	
44.	पर्यटन	
45.	पर्यावरण	05.03.2012
46.	प्रशासनिक सुधार	
47.	प्राविधिक शिक्षा	
48.	अल्पसं ख्यक कल्याण	
49.	महिला एवं बाल विकास	06.03.2012
50.	राजस्व	
51.	सहायता एवं पुर्नवास	
52.	राष्ट्रीय एकीकरण	
53.	लोक निर्माण	09.03.2012
54.	राज्य सम्पत्ति विभाग	
55.	वन	
56.	वित्त विभाग	
57.	विधान परिषद सचिवालय	12.03.2012
58.	विधान सभा सचिवालय	
59.	विधायी एवं संसदीय कार्य	
60.	अपारम्परिक ऊर्जा (नेडा)	
61.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	13.03.2012
62.	बेसिक शिक्षा	
63.	माध्यमिक शिक्षा	
64.	उच्च शिक्षा	
65.	श्रम	

17.01.2012

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
66.	सचिवालय प्रशासन	14.03.2012
67.	कार्यक्रम कार्यान्वयन	
68.	विकलांग कल्याण	
69.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
70.	समाज कल्याण	16.03.2012
71.	जनजाति कल्याण	
72.	सतर्कता विभाग	
73.	सामान्य प्रशासन	
74.	सार्वजनिक उद्यम	19.03.2012
75.	सूचना	
76.	सैनिक कल्याण	
77.	संस्थागत वित्त	
78.	स्टाम्प एवं पंजीयन	20.03.2012
79.	मनोरंजन कर	
80.	व्यापार कर	
81.	सांस्कृतिक कार्य	
82.	सिंचाई	
	उक्त सूची के अतिरिक्त यदि कोई विभाग शेष हो	21.03.2012

17.01.2012